पत्र सं0–08 / सू0अ0–10–03 / 2012 सा0प्र0 3210 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक:– 29.2.12.

विषय:– प्रथम अपीलीय प्राधिकार के स्तर से अपील मामलों का निष्पादन नहीं किए जा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार सूचना का अधिक नियमावली, 2006 के नियम–6 (1) के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी के निर्णय से विक्षुब्ध अथवा कोई निर्णय नहीं दिए जाने पर विक्षुब्ध व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकार के समक्ष निर्णय व प्राप्ति अथवा अप्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर अपील कर सकेगा। उक्त नियमावली के नियम–6 (के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश से भी विक्षुब्ध आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश व प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिनों के अन्दर सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकेगा।

2. सूचना आयोग में दायर द्वितीय अपील वादों में अधिकतर सम्प्रति ऐसे मामले हैं जिन प्रथम अपीलीय प्राधिकार के स्तर पर कोई आदेश पारित नहीं होने के कारण सीधे दायर किए ग हैं।आवेदक/अपीलकर्त्ता के द्वारा इस प्रकार दायर किए गए द्वितीय अपील का कारण प्रथम अपीली प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर वादों का निष्पादित नहीं किया जाना भी है।

3. ज्ञातव्य है कि सूचना आयोग में उपर्युक्त कंडिका–2 में उल्लिखित कारणों के अन्तर्ग दायर द्वितीय अपील नियमानुसार सही नहीं हैं। इस परिस्थिति में आवेदकों को वांछित सूचना प्राप्त न होती है और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना होता है। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनिय 2005 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन प्रतीत होता है। सूचना आयोग में नियम के प्रतिकूल दायर द्विती अपीलों के नियंत्रण हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपील वाद व निपटारा किया जाना आवश्यक है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपी का निष्पादन किए जाने से आवेदकों को भी सहूलियत होगी।

अतः अनुरोध है कृपया अपने अधीनस्थ प्रत्येक प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को प्रथम अपी का निष्पादन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 में निहित प्रावधनों के अन्दर निर्धारित सम सीमा 30 दिन (अधिकतम 45 दिन) में निष्पादित करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाए जिससे कि सूच का अधिकार का कार्यान्वयन तथा उसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जा सके।

विश्वासभाजन

27.2.12

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।